अनुदान संख्या 68 – पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	790,79,00	790,81,00	700,28,67	-90,52,33
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				88,95,04

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2079.00	1882.66	1878.43	-4.23
पु.	R.	-196.34			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	69300.00			
पू.	S.	2.00	68303.30	68150.24	-153.06
पु.	R.	-998.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7700.00	..	..	..
पु.	R.	-7700.00			

(I) ₹7700.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – पंचायती राज – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधिक स्कीमें" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹7700.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj - Scheme for benefit of NEA" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत ₹200.57 लाख की बचत (₹2079.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) रिक्त पदों को भरे न जाने, स्थापना संबंधित खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - saving of ₹200.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2079.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards establishment related expenses and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(III) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पंचायती राज" –

(A) "Panchayati Raj"-

(क) "कार्य अनुसंधान और प्रचार" – ₹477.02 लाख की बचत (दिसंबर, 2017 में ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1691.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन और प्रचार के संबंध में कम निधियों की आवश्यकता होने और

(a) "Action Research and Publicity" - saving of ₹477.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1691.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) was due to receipt of less proposals from research institutions, requirement of less funds towards

वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

advertising and publicity by Directorate of Advertising and Visual Publicity and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "डिजिटल भारत पहल ई–पंचायत" – ₹1420.17 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6101.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचायत भवनों में एटीएम सेवाओं के मूर्त रूप न लिए जाने के कारण हुई।

(b) "Digital India Initiative e-Panchayat" - saving of ₹1420.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2018) was due to non-materialization of ATM services in Panchayat Bhawans.

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान" – ₹810.20 लाख की बचत (₹12150.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Capacity Building - Panchayat Sashaktikaran Abhiyan" - saving of ₹810.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12150.20 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान" – ₹487.11 लाख की बचत (₹6227.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Capacity Building - Panchayat Sashaktikaran Abhiyan" - saving of ₹487.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6227.10 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2515" – "पंचायती राज – क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान" के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹2048.60 लाख का अधिक व्यय (₹43112.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2515"- "Panchayati Raj - Capacity Building - Panchayat Sashaktikaran Abhiyan" - excess of ₹2048.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43112.70 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.